कार्यालय तहसीलदार (भू० अ०) जायल

क्रमांक/भू०अ०/2021/2857 दिनांक 30-7-2021

प्रेषित :- श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महो०
जायल

विषय :- प्राथमिक डिक्री की मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव भेजने बाबत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके पत्रांक / दिनांक 374/29-06-2021 के अनुसरण में राजस्व वाद सं० 100/2020 में जारी प्राथमिक डिक्री का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का इस कार्यालय से आदेश जारी किया गया, आदेश की पालना में रा० वा० सं० 100/2020 शैतानराम बनाम हरदेवराम वगैरहा में जारी प्राथमिक डिक्री का मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव तैयार होकर इस कार्यालय में जमा हुआ, अतः इस पत्र के संलग्न रा० वा० सं० 100/2020 प्राथमिक डिक्री की मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में भेजा जा रहा है, अतः आपके पत्रांक / दि० 374/29-06-2021 की पालना आवश्यक कार्यवाही बाबत् सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू०अ०)
जायल

संलग्न :- रा० वा० सं० 100/2020 में प्राथमिक डिक्री की मौका रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में ।

Scanned with CamScanner

मौका रिपोर्ट प्राथमिक डिक्री विभाजन प्रस्ताव

मैं इन्द्रिरा पिट नायब तहसीलदार न्यायालय सहायक कलेक्टर जायल के आदेश क्रमांक/रीडर कोर्ट/2021/374 दिनांक 29/07/2021 राजस्व वाद सं. 100/2020 अनुवान शैतानराम बनाम हरदेवराम वगैरह में प्राथमिक डिक्री एवं कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) जायल के आदेश/भू.अ./प्राथमिक डिक्री/2021/240 दिनांक 8-07-2021 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 31/07/2021 को वास्ते ग्राम मांगलोद व तेजासर पर भू.अ. निरीक्षक मांगलोद एवं हलका पटवारी मांगलोद के साथ मौके पर पहुंचा। न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल में विचाराधीन प्रकरण सं. 100/2020 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस दिनांक 10/07/2021 जारी किये गये थे। जिनकी तामिल विधिवत रूप से करवायी गई। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित हैं।

क्रम	नाम मय वल्दियत	उम्र	जाति	वादि/प्रतिवादी
1	हरदेवराम पुत्र रामनारायण राम जाट मांगलोद	65 वर्ष	जाट	प्रतिवादी
2.	शैतानराम पुत्र हरदेवराम	41 वर्ष	जाट	वादी
03	शिवराम पुत्र हरदेवराम	39 वर्ष	जाट	वादी
04	राम प्रकाश पुत्र हरदेवराम	34 वर्ष	जाट	वादी

उपरोक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम 188 व 4 के अनुसार निम्न प्रकार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया।

क्रमसं.	नाम ग्राम	हिस्सेदार का नाम मय वल्दियत	खसरा नंबर	रकबा	स्थिति
01	तेजासर	शैतानराम पुत्र हरदेवराम जाट के हिस्से में	959 मैंसे	3-8499 हैं०	शिवराम व रामप्रकाश के मध्य हिस्सा बराबर
	मांगलोद	—॥—	732 मैंसे	1-2100 हैं०	उत्तरी हिस्सा बराबर
कुल		कुल खसरा 02		5-0599 हैं०	
02	तेजासर	शिवराम पुत्र हरदेवराम जाट के हिस्से में	959 मैंसे	3-8499 हैं०	उत्तरी हिस्सा बराबर
	मांगलोद	—॥—	732 मैंसे	1-2100 हैं०	दक्षिणी हिस्सा बराबर
कुल		कुल खसरा 02		5-0599 हैं०	
3	तेजासर	रामप्रकाश पुत्र हरदेवराम जाट	959 मैंसे	3-8499	दक्षिणी हिस्सा बराबर

भू.अ.नि. मांगलोद [signature] पटवारी [signature] मांगलोद [signature] N.T. [signature]

क्रम सं.	नाम ग्राम	हिस्सेदार का नाम मय वल्दियत	खसरा नं.	रकबा	स्थिति
01	मांगलोद	हरदेवराम पुत्र रामनारायण 1/2 हि० जाति जाट सा० मांगलोद सुमन पुत्री हरदेवराम पत्नी कैलाशराम जाति जाट निवासी मातासुख 1/2 हि०	742	2-4400	सहमति से हि० अनुसार

मौके पर उपरोक्तानुसार ही कब्जा काश्त है। अन्य पक्षकारों का कोई कब्जा काश्त नही है। उपस्थित वादी एवं प्रतिवादी उक्त विभाजन से सहमत है। उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारो और मौत बिरानो के समक्ष बनायी तथा पढकर सुनाई गयी। मौके पर उपस्थित पक्षकारो ने पढ सुन एवं समझकर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये गये।

क्रम	नाम मय वल्दियत	जाति	हस्ताक्षर	प्रार्थी/अप्रार्थी
01	हरदेवराम पुत्र रामनारायण	जाट	हरदेवराम	अप्रार्थी
2.	शैतानराम पुत्र ~~[illegible]~~ हरदेवराम	जाट	शैतानराम	प्रार्थी
03	शिवराम पुत्र हरदेवराम	जाट	शिवराम	प्रार्थी
04	रामप्रकाश पुत्र हरदेवराम	जाट	रामप्रकाश	प्रार्थी

अन्य उपस्थित मौत बिरानों को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढकर सुनाई गई एवं हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार आज दिनांक 21/07/2021 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई।

हरदेवराम

शैतानराम

शिवराम

रामप्रकाश

मैंसरवाल
ह. /पट. मांगलोद

[signature]
पट मांगलोद

[signature]
N.T.deh

Scanned with CamScanner

रास्ता किश्तवार
मौजा - मांगलोद
तह. - जायल
पैमाना - 1" = 40 गट्ठा

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.), जायल

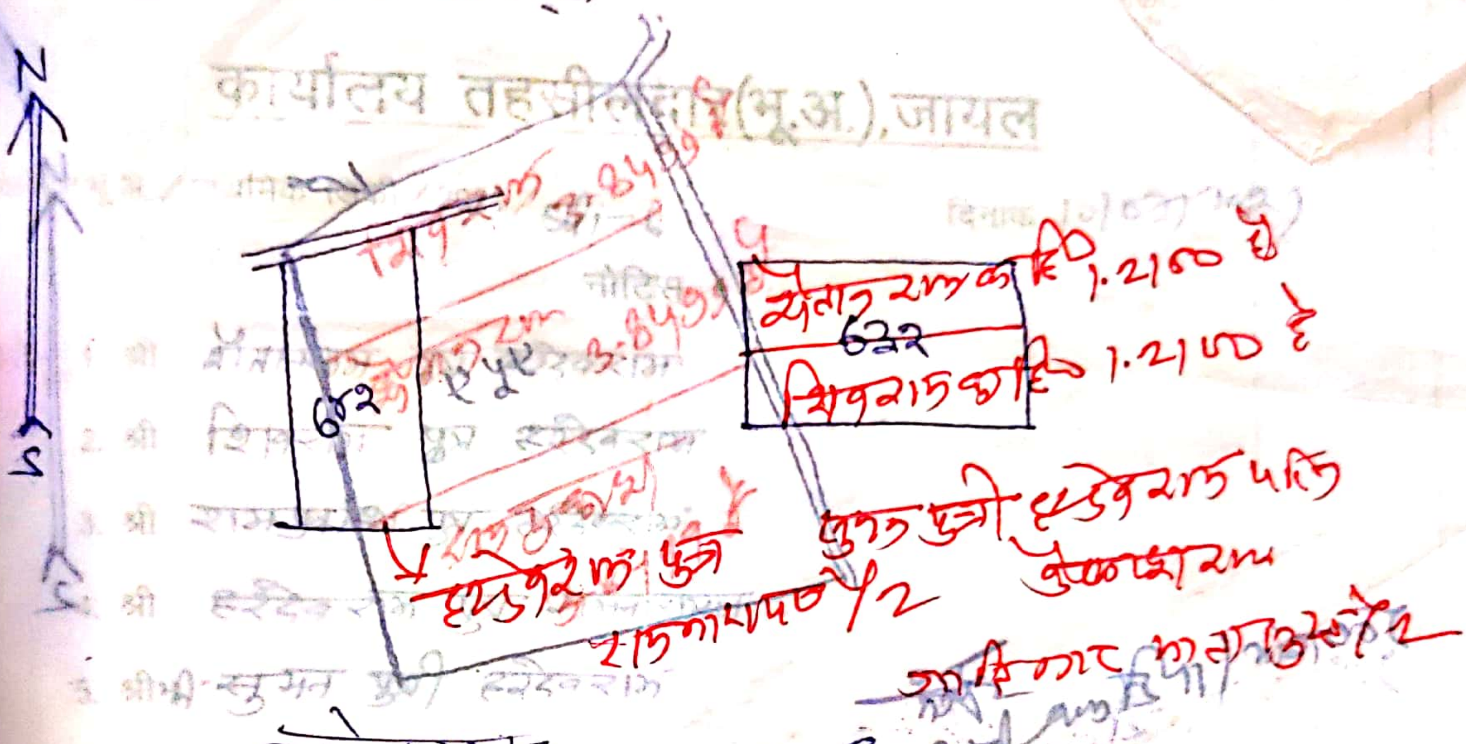

1. श्री ...
2. श्री शिव... पुत्र हरदेवराम
3. श्री राम...
4. श्री हरदेव...
5. श्रीमती सुमन पुत्री हरदेवराम
6. श्री हरदेवराम
7. श्री

शिवकरणराम
रामप्रकाश राम

जरिये नोटिस ... किया जाता है कि ... जायल के ... अनुवाद ... बनाम हरदेवराम में ... प्राथमिक डिक्री की पालना में ग्राम मांगलोद के खसरा संख्या 742, 732 का ...

राजस्व वाद सं 160 अनुवान शैतानराम बनाम हरदेवराम
जाति जाट सा0 मींगलोद

नजरी नक्शा
मौजा – तेजासर

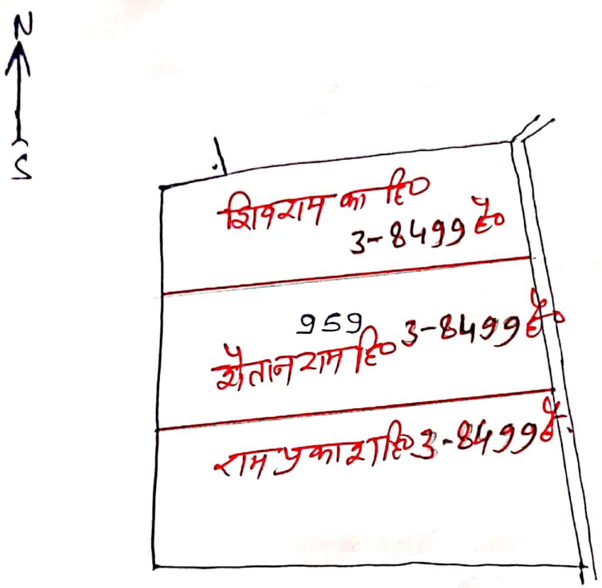

हरदेवराम

शैतानराम

शिवराम

रामप्रकाश

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद सं 100 अनुवान शैतानराम बनाम हरदेवराम
जाति जाट सा० मांगलोद.

नजरी नक्शा
मौजा – मांगलोद

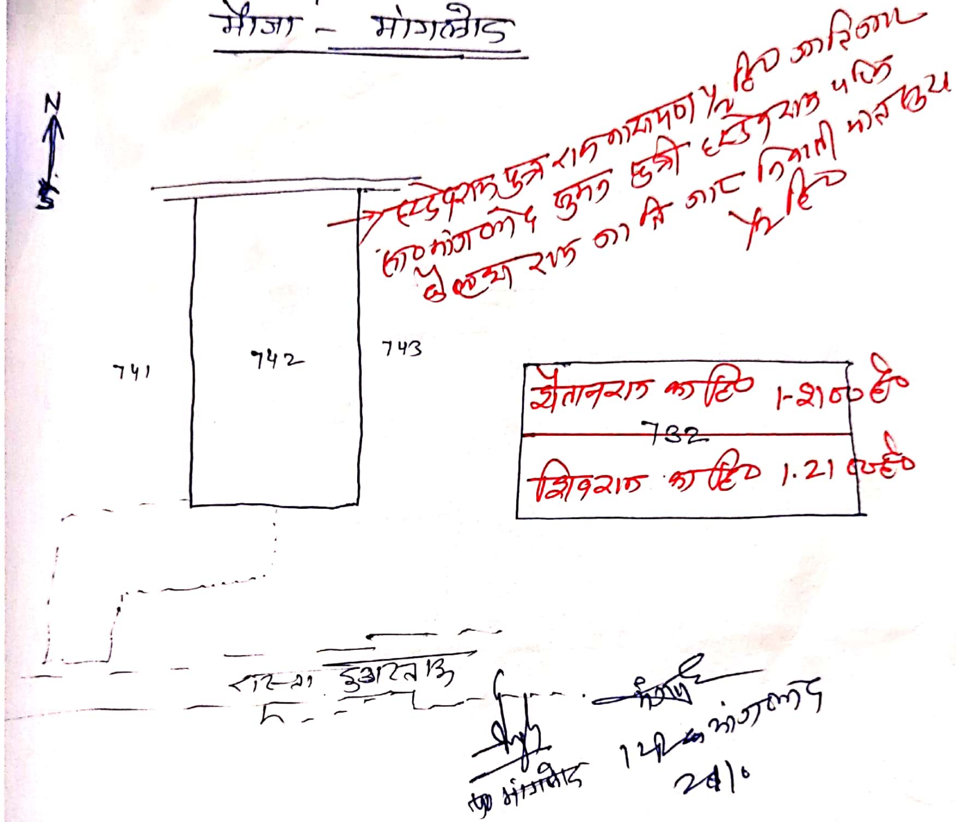

हरदेवराम

शैतानराम

शिवराम

रामप्यारा

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद
शैतानराम वगैरह बनाम हरदेवराम वगैरह
100/2020

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 100/2020

वादीगण–

1. शैतानराम पुत्र हरदेवराम
2. शिवराम पुत्र हरदेवराम
3. रामप्रकाश पुत्र हरदेवराम जातियान जाट निवासीगण मांगलोद तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. हरदेवराम पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी मांगलोद
2. सुमन पुत्री हरदेवराम पत्नी कैलाशराम जाति जाट निवासी मातासुख।
3. तहसीलदार जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), जायल

उपस्थिति :–

1. श्री अम्बालाल पारासर अधिवक्ता वादीगण
2. श्री शिव कुमार पारासर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 2
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 03/8/2024

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र न्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। दीगण ने निवेदन किया कि वादीगणएवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के बडेर की पुस्तैनी भूमि जा मांगलोद तहसील जायल में खेत खसरा नं. 742 रकबा 2.4443 हैक्टेयर, खसरा नं. 732 कबा 2.4200 हैक्टेयर, मौजा तेजासर का खेत खसरा नंबर 959 रकबा 11.5497 हैक्टेयर ती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा वाद पत्र पैरा संख्या 3 (क व घ) के अनुसार कर सिंव–नींव अलग–अलग कर ली। जो निम्न प्रकार है। वादी संख्या 1 शैतानराम के हक बंट में मौजा तेजासर के खेत खसरा नबर 959 बा 11.5497 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा रखा गया है तथा मौजा मांगलोद का खेत खसरा र 732 रकबा 2.4200 हैक्टेयर मे से 1/2 हिस्सा रखा गया है। वादी संख्या 2 शिवराम के बंट में मौजा तेजासर के खेत खसरा नबर 959 रकबा 11.5497 हैक्टेयर में से 1/3 स्सा रखा गया है तथा मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 732 रकबा 2.4200 हैक्टेयर मे 1/2 हिस्सा रखा गया है। वादी संख्या 3 रामप्रकाश के हक बंट में मौजा तेजासर के खसरा नबर 959 रकबा 11.5497 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा रखा गया है। प्रतिवादी ख्या 1 से 2 के हक बंट में मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 742 रकबा 2.4443 क्टेयर रखा गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने

03/8/2024
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

माफिक बंट अनुसार अलग-अलग सींव-नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार जस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के रण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर क्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर री करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया या। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 ने दिनांक 23.03.2021 को उपस्थित न्यायालय कर राजीनामा पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री अम्बालाल पारासर ने था प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की पहचान अधिवक्ता श्री शिवकुमार पारासर ने की। राजीनामा मिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 का सम्मन स्वयं से तामील कर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 ा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 3 केवल परफोर्मा पक्षकार । होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय ी किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह शैतानराम पुत्र देवराम के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम मांगलोद एवं तेजासर तहसील-जायल त् 2073-2076 खाता संख्या 573 प्रदर्श-1 नकल, खाता संख्या 134 प्रदर्श-2, पेश किये । अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की । चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 2 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामावाद को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने दन किया है कि वादपत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक नजरी नक्शानुसार ार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 2 के हक की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा क राजीनामावाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा ाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा श किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 23.03.2021 के ार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

ली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि दीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा पर मनन किया गया। दी संख्या 3 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने त होते है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

हस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार लग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में स्तुत राजीनामा दिनांक 23.03.2021 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 ने आपसी हमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार या है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। हमारी राय में जा मांगलोद एवं तेजासर के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार ने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में कारान द्वारा खसरा नं. 742,732 व 959 की भूमि का माफिक राजीनाम अनुसार बंट चाहा जो पूर्णरूपेण विभाजन नहीं है। अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 742,732 व 959 की मे का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा हा जाने से हम वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 15.06.2021 को प्राथमिक क्री करने के आदेश पारित किये गये थे।

तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 15.06.2021 की पालना में प्राथमिक वारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 2857 दिनांक 30.07.2021 प्राप्त हुआ, जिस पर वकुलाय को ा गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक वारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर स्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् मेंवादीगण व प्रतिवादीगण हरदेवराम रामनारायण, शैतानराम पुत्र हरदेवराम, शिवराम पुत्र हरदेवराम,रामप्रकाश पुत्र हरदेवराम ने ारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार जाने की पुष्टि अन्य मौतबिरान व्यक्तियों को रिपोर्ट पढकर सुनाये जाने से भी होती है। मौजा मांगलोद व तेजासर तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 959,732,742 के में प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

वादीगण का वाद अधीन धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तहसीलदार ल से प्राप्त जरिये पत्रांक 2857 दिनांक 30.07.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार ार किया जाता है, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

. वादी संख्या 1 शैतानराम के हक बंट में मौजा तेजासर के खेत खसरा नंबर 959 रकबा 11.5497 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा (3.8499 हैक्टेयर) रखा गया है तथा मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 732 रकबा 2.4200 हैक्टेयर मे से 1/2 हिस्सा (1. 2100) हैक्टेयर संलग्न नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

वादी संख्या 2 शिवराम के हक बंट में मौजा तेजासर के खेत खसरा नंबर 959 रकबा 11.5497 हैक्टेयर में से 1/3 (3.8499हैक्टेयर)हिस्सा रखा गया है तथा मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 732 रकबा 2.4200 हैक्टेयर मे से 1/2 (1.2100) हैक्टेयर हिस्सा संलग्न नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद
शैतानराम वगैरह बनाम हरदेवराम वगैरह
100/2020

3. वादी संख्या 3 रामप्रकाश के हक बंट में मौजा तेजासर के खेत खसरा नंबर 959 रकबा 11.5497 हैक्टेयर में से 1/3 (3.8499 हैक्टेयर) हिस्सा रखा गया है।

प्रतिवादी संख्या 1 से 2 कमश हरदेवराम पुत्र रामनारायण एवं सुमन पुत्री हरदेवराम माली के संयुक्त हक बंट में मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 742 रकबा 2.4443 हैक्टेयर संलग्न नजरीनक्शानुसार (1/2–1/2) रखा गया है।

निर्णय आज दिनांक 03/8/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर * (एस.डी.ओ.), जायल *

03/8/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद
शैतानराम वगैरह बनाम हरदेवराम वगैरह
100/2020

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 100/2020

ादीगण–

1. शैतानराम पुत्र हरदेवराम
2. शिवराम पुत्र हरदेवराम
3. रामप्रकाश पुत्र हरदेवराम जातियान जाट निवासीगण मांगलोद तहसील जायल (नागौर)

बनाम

वादीगण –

1. हरदेवराम पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी मांगलोद
2. सुमन पुत्री हरदेवराम पत्नी कैलाशराम जाति जाट निवासी मांगलोद
3. तहसीलदार जायल

स्थिति :–

1. श्री अम्बालाल पारासर अधिवक्ता वादीगण
2. श्री शिव कुमार पारासर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 2
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री अम्बालाल पारासर ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 हाजरी श्री शिवकुमार पारासर व दी संख्या 3 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

वादी संख्या 1 शैतानराम के हक बंट में मौजा तेजासर के खेत खसरा नबर 959 रकबा 11.5497 हैक्टेयर में से 1/3 हिस्सा (3.8499 हैक्टेयर) रखा गया है तथा मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 732 रकबा 2.4200 हैक्टेयर मे से 1/2 हिस्सा (1.2100) हैक्टेयर संलग्न नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

वादी संख्या 2 शिवराम के हक बंट में मौजा तेजासर के खेत खसरा नबर 959 रकबा 11.5497 हैक्टेयर में से 1/3 (3.8499हैक्टेयर)हिस्सा रखा गया है तथा मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 732 रकबा 2.4200 हैक्टेयर मे से 1/2 (1.2100) हैक्टेयर हिस्सा संलग्न नजरीनक्शानुसार रखा गया है।

वादी संख्या 3 रामप्रकाश के हक बंट में मौजा तेजासर के खेत खसरा नबर 959 रकबा 11.5497 हैक्टेयर में से 1/3 (3.8499 हैक्टेयर) हिस्सा रखा गया है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल
03/8/2021

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद
शैतानराम वगेरह बनाम हरदेवराम वगैरह
100/2020

4. प्रतिवादी संख्या 1 से 2 क्रमश हरदेवराम पुत्र रामनारायण एवं सुमन पुत्री हरदेवराम माली के संयुक्त हक बंट में मौजा मांगलोद का खेत खसरा नंबर 742 रकबा 2.4443 हैक्टेयर संलग्न नजरीनक्शानुसार (1/2–1/2) रखा गया है।

03/8/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

त – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03/8/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
हनताना वकील			खर्चा गवाहान		
ीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
ुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
ान			मीजान		

–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये ाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

03/8/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल